निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 974) पटना, शुक्रवार, 23 मई 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

23 मई 2025

सं० एल०जी०–01–06/2025/3236/लेज—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 मई 2025 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[बिहार अध्यादेश संख्या–01,2025]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम–01, 1951) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि सीतामढ़ी जिले में 'देवी सीता' की जन्मस्थली पुनौराधाम का विशेष धार्मिक और पर्यटन महत्व है। हिंदू धर्मावलंबी 'भगवान राम' के साथ 'देवी सीता' की भी पूजा करते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का विकास किया गया है और यह श्रद्धालुओं के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बन गया है। अयोध्या और पुनौराधाम के बीच सीधा संपर्क है। व्यापक जनहित में श्रद्धालुओं की भावना और पर्यटन के व्यापक विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पुनौराधाम को रामायण सर्किट के रूप में विकसित करना समीचीन है ताकि अयोध्या धाम से सीधा संपर्क हो सके।

और चूँकि, अब तक वहां बहुत कम विकास हुआ है। बिहार सरकार ने पुनौराधाम को अयोध्या धाम के अनुरूप विकसित करने की योजना बनाई है।

और चूँकि, पुनौरा मठ (श्री सीता जन्म कुण्ड स्थल (श्री जानकी जन्म भूमि, पुनोरा धाम मंदिर) ग्राम–पुनौरा, जिला–सीतामढ़ी एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास है और पर्षद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य कर रहा है।

और चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम–01, 1951) को इसके पश्चात् विहित रीति से संशोधित करने हेतु तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**–
   (1) यह अध्यादेश बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकेगा।
   (2) यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **धारा 32 में संशोधन।**–बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 में उपधारा 32(5) को निम्नलिखित रूप में अंतःस्थापित किया जाएगाः–

   (5) (i) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 सहित किसी प्रावधान के होते हुए भी, राज्य सरकार पुनौराधाम मंदिर, सीतामढ़ी के विकास के लिए एक योजना बना सकेगी, जिसमें भूमि और सभी परिसंपत्तियों का प्रशासन शामिल हैं। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण शामिल होगा, ताकि इसे राष्ट्रीय महत्व का धार्मिक और पर्यटन आकर्षण का स्थान बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

   (ii) राज्य सरकार विकास योजना के प्रशासन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति गठित कर सकेगी।

   (iii) इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से पुनौराधाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति भंग मानी जाएगी। सभी पदाधिकारी कार्य करना बंद कर देंगे।

   परंतु न्यास के विद्यमान महंथ को राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति में शामिल किया जाएगा।

   परंतु और भी, न्यास के सभी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित समिति के पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए न्यास की सेवा करते रहेंगे।

   (iv) राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति, न्यास और उसकी सभी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन का पूर्ण नियंत्रण तुरंत अपने हाथ में ले लेगी।

   (v) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति राज्य सरकार को समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

   (vi) राज्य सरकार योजना के उचित कार्यान्वयन के हित में समिति को निर्देश जारी कर सकती है और ऐसे निर्देश बाध्यकारी होंगे।

   (vii) राज्य सरकार न्यास के समुचित विकास के हित में वर्तमान योजना को संशोधित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कर सकेगी। राज्य सरकार किसी भी समय समिति का पुनर्गठन कर सकेगी, जिसमें नए सदस्यों को शामिल करना या वर्तमान सदस्यों को बाहर करना शामिल है।

   (viii) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पर्षद की सामान्य शक्तियां और कर्तव्य न्यास पर लागू रहेंगे।

(ix) उप–धारा (3) और (4) में निहित प्रावधान इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत तैयार की गई योजना पर लागू नहीं होंगे।

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।

पटना,
दिनांकः 21 मई, 2025

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।

पटना,
दिनांकः 21 मई, 2025

विधि विभाग

अधिसूचना
23 मई 2025

सं० एल०जी०–01–06/2025/3237/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 मई 2025 को प्रख्यापित बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[Bihar Ordinance No.-01, 2025]
BIHAR HINDU RELIGIOUS TRUST (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025
AN
ORDINANCE

further to amend the Bihar Hindu Religious Trust Act 1950 (Bihar Act-01 of 1951).

Whereas, birth place of 'Goddess Sita' Punauradham in the District of Sitamarhi, has special religious and tourism importance. Believers of Hindu Religion, worship 'Goddess Sita' along with 'Lord Rama, Sri Ram Janam Bhumi in Ayodhya has been developed and has become a place of great attraction for the devotees. There is a direct connect between Ayodhya and Punauradham. In larger public interest taking into consideration the sentiment of devotees and prospect of huge development of tourism, it is considered necessary to develop existing Punauradham as the Ramayan Circuit to have direct connection with Ayodhya Dham.

Whereas, there has been very scanty development so far. The Government of Bihar has conceived a plan for development of Punauradham to make it compatible with Ayodhya Dham.

Whereas, Punaura Math (Shri Sita Janam Kund Asthal (Shri Janki Janam Bhumi, Punauradham Mandir) Village-Punaura, District-Sitamarhi is a registered public trust and is functioning under control and supervision of the Board.

The Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist due to which it has become necessary for him to take immediate action to amend Bihar Hindu Religious Trust Act 1950 (Bihar Act-01 of 1951), in the manner prescribed hereafter.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following ordinance.

1. ***Short title and commencement***.—

(1) This Ordinance may be called the Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) This Ordinance shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. ***Amendment in Section 32.***— In Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 the Sub Section 32 (5) shall be inserted as following:-

(5) (i) Notwithstanding any provision in Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 including Section 32, State Government may constitute a scheme for development of Punauradham Mandir, Sitamarhi including administration of land and all assets. The scheme will inter-alia, include holistic approach for development with a view to achieve the aim of making it a place of national importance of religious and tourism attraction.

(ii) The State Government may constitute committee of eminent persons for administering the scheme of Development.

(iii) On and from the date of promulgation of this Ordinance, existing committee of trust shall stand dissolved. All office bearers shall cease to function.

Provided that existing Mahanth of the trust will be included in the Committee to be constituted by the State Government.

Provided further that all employees of the Trust shall continue to serve the trust subject to complete control of the Committee including disciplinary action.

(iv) The Committee to be constituted by the State government shall immediately take complete control of management of Trust and all its assets, tangible and intangible.

(v) The committee constituted by the State government shall submit periodical report to the State Government.

(vi) That State government may issue direction to the Committee in the interest of proper implementation of scheme and such direction shall be binding.

(vii) The State government may modify, alter, amend or substitute existing scheme in the interest of proper development of trust. The state government may reconstitute the Committee any time including inclusion of new members or exclusion of existing members.

(viii) General Powers and Duties of the Board under Section 28 of the Act shall continue to be applicable to the Trust.

(ix) Provisions contained in the sub-Section (3) and (4) shall have no application on the scheme framed under the provisions of this Ordinance.

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.

Patna,
Dated: 21 May, 2025

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)974-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in